न्यायालय–तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर (म0प्र0)

(समक्षः वरूण कुमार शर्मा)

सक्सेशन प्रकरण क्रमांकः– 132/2022
संस्थित दिनांकः– 27.10.2022
फाईलिंग नंबरः– 19310/2022

1. सदाशिव खानवलकर पुत्र स्व. श्री दिनकर खानवलकर, आयु– 57 वर्ष, व्यवसाय– वकालत, निवासी– बी/744, आनंद नगर, बहोड़ापुर, ग्वालियर, म.प्र.
2. श्रीमती रचना सर्वटे पत्नी श्री जयंत सर्वटे पुत्री स्व. श्री दिनकर खानवलकर, आयु– 63 वर्ष, व्यवसाय– पेंशनर, निवासी– 38, जनकपुरी, सिंधी कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र.
3. श्रीमती त्रुति गोरे पत्नी श्री श्रीकांत गोरे पुत्री स्व. श्री दिनकर खानवलकर, आयु– 59 वर्ष, व्यवसाय– कुछ नहीं, निवासी– म.नं. 35, फर्स्ट फ्लोर, पंचवटी वस्त्र नगर, ग्वालियर, म.प्र.

.....**आवेदकगण**

बनाम

1. सर्वसाधारण
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शाखा प्रबंधक, शाखा जीवाजी चौक, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र.
3. श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर, रजिस्टर्ड ऑफिस मूकाम्बिका कॉम्पलेक्स, थर्ड फ्लोर, नं. 4 लेडी देसिका रोड़ माइलापोर चैन्नई– 600004

..... **अनावेदकगण**

// आदेश //

(आज दिनांक 11.04.2023 को पारित किया गया)

1. इस आदेश के द्वारा आवेदकगण की ओर से स्वर्गीय तारा खानवलकर की मृत्यु के उपरांत देय/जमाशुदा राशि मय ब्याज के प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है।

2. आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण की मां स्व. तारा खानवलकर की मृत्यु दिनांक 09.12.2015 को एवं पिता दिनकर खानवलकर की मृत्यु दिनांक 20.09.1999 को हो चुकी है। स्व. तारा खानवलकर का खाता क्रमांक 30328429718 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है जिसमें 28,665/– रूपये की राशि जमा है। स्व. तारा खानवलकर के नाम से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी में 1,00,000/– रूपये की एफ.डी. स्थित है जिसका सर्टिफिकेट नंबर 40265296 है। स्व. तारा खानवलकर के एक अविवाहित पुत्र पीयूष खानवलकर की मृत्यु दिनांक

04.08.2020 को हो चुकी है। अतः मृतक तारा खानवलकर की मृत्यु के उपरांत देय/जमाशुदा राशि के संबंध में आवेदकगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया।

3. अनावेदक क्रमांक–1 सर्वसाधारण की उपस्थिति के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र ''नईदुनिया'' में दिनांक 08 नवंबर 2022 को विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने के उपरांत भी आगामी नियत दिनांक 13.12.2022 को सर्वसाधारण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

4. अनावेदक क्रमांक–2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अभिवचन किया गया है कि स्व. तारा खानवलकर के नाम से खाता क्रमांक 30328429718 अनावेदक बैंक में स्थित है जिसमें 28,665/– रूपये की राशि जमा है तथा उक्त खाते में नॉमिनी पीयूष खानवलकर है।

5. अनावेदक क्रमांक–3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

6. प्रकरण में निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है :–

1– क्या तारा खानवलकर की मृत्यु दिनांक 09.12.2015 को हो गई है ? यदि हॉ तो–

2– क्या आवेदन पत्र में उल्लेखित मृतक तारा खानवलकर की मृत्यु उपरांत देय/जमाशुदा राशि के संबंध में आवेदकगण उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पाने के अधिकारी हैं ?

3– सहायता एवं व्यय।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1 लगायत 3 का निराकरणः–

7. साक्षी सदाशिव खानवलकर (आ.सा.1), रचना सर्वटे (आ.सा.2) एवं श्रुति गोरे (आ.सा.3) के द्वारा न्यायालय में किये गये कथनों के माध्यम से आवेदन का समर्थन किया गया है। मामले में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्व. तारा खानवलकर का मृत्यु प्रमाण पत्र प्र.पी.1, स्व. डी.ए. खानवलकर का मृत्यु प्रमाण पत्र प्र.पी.2, स्व. पीयूष खानवलकर का मृत्यु प्रमाण पत्र प्र.पी.3, स्व. तारा खानवलकर के बचत खाते की पासबुक प्र.पी.4, एफ.डी. प्र.प्री.5, आवेदक क्रमांक–1 का आधार कार्ड प्र.पी.6, आवेदक क्रमांक–2 का आधार कार्ड प्र.पी.7, आवेदक क्रमांक–3 का आधार कार्ड प्र.पी.8, प्रस्तुत किये गये हैं।

8. साक्षी रचना (आ.सा.2) एवं श्रुति गोरे (आ.सा.3) ने कंपनी में जमा राशि के संबंध में अपने भाई आवेदक क्रमांक–1 सदाशिव खानवलकर के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति न होना बताया है।

9. आवेदक पक्ष की साक्ष्य इस तथ्य पर अखंडित है कि तारा खानवलकर की मृत्यु दिनांक 09.12.2015 को हो चुकी है। आवेदक क्रमांक–1 लगायत 3 क्रमशः सदाशिव खानवलकर, रचना सर्वटे एवं श्रुति गोरे, मृतक तारा खानवलकर के पुत्र एवं पुत्री होकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वर्ग–1 के उत्तराधिकारी हैं। मामले में आवेदक क्रमांक–2 व 3 के द्वारा आवेदक क्रमांक–1 सदाशिव खानवलकर के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति न होने का अभिवचन किया गया है। ऐसी दशा में पुत्र होने के कारण आवेदक क्रमांक–1 सदाशिव खानवलकर के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

10. प्रकरण में आवेदकगण के द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में किये गये अभिवचन एवं साक्ष्य से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं कि :–

1. आवेदक क्रमांक–1 सदाशिव खानवलकर के पक्ष में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 372 के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कोई बाधा नहीं है।
2. आवेदक क्रमांक–1 सदाशिव खानवलकर, मृतक तारा खानवलकर का जीवित सर्वोत्तम उत्तराधिकारी होने के आधार पर अनावेदक क्रमांक–2 व 3 के पास जमा राशि को प्राप्त करने का अधिकारी है।
3. मामले में जिस संपत्ति के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा गया है वह संपत्ति बैंक एवं कंपनी में जमा राशि के रूप में चल संपत्ति है।

11. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण अपना आवेदन प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। फलतः आवेदक क्रमांक–1 सदाशिव खानवलकर, मृतक तारा खानवलकर की निम्नलिखित देय/जमाशुदा राशि मय ब्याज, के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पाने का अधिकारी पाया जाता है :–

जमाकर्ता का नाम	**विभाग/बैंक का नाम, खाता क्रमांक**	**मद जिसमें राशि भुगतान की जाना है।**	**भुगतान योग्य राशि**
स्व. तारा खानवलकर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा जीवाजी चौक, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र. में बचत खाता क्रमांक 30328429718	बचत खाता राशि	28,665/– रूपये मय ब्याज
––''––''––	श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी में एफ.डी. सर्टिफिकेट नंबर 40265296	एफ.डी. राशि	1,00,000/– रूपये मय ब्याज
		कुल राशिः–	**1,28,665/– रूपये मय ब्याज**

12. आवेदक क्रमांक–1 सदाशिव खानवलकर के द्वारा उपरोक्त बैंक एवं कंपनी में जमाशुदा राशि एवं अर्जित ब्याज का विवरण प्रस्तुत करने, भुगतान योग्य राशि पर देय विधि अनुसार न्यायालय शुल्क, उक्त राशि के समतुल्य राशि के बंधपत्र एवं इतनी ही राशि की प्रतिभूति तीन वर्ष की अवधि के लिये (इस आशय की पेश करने पर कि भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है और किसी अन्य व्यक्ति को उक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है तो आवेदक क्रमांक–1 उपरोक्त राशि न्यायालय में जमा करायेगा) प्रस्तुत करने पर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

दिनांक 11.04.2023 **मेरे बोलने पर टंकित।**
स्थान – ग्वालियर।

–सही–
(वरूण कुमार शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
ग्वालियर म.प्र.